Copy right @ICAR-CIFRI

भा.कृ.अनु.प.– केंद्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसन्धान संस्थान बैरकपुर, कोलकाता – 700120

देशव्यापी कोरोना महामारी (COVID 19) के कारण लॉकडाउन के समय जलाशय और आद्रक्षेत्र पर निर्भरशील मछुआरों/ मछुआरा सहकारी समितियो के लिए परामर्शी दिशानिर्देश

मछुआरों को छोटे समूहों में काम करना चाहिए; जब भी वे अपने घर से किसी भी मत्स्ययन कार्य के लिए बाहर निकले तब उन्हें सुरक्षात्मक मास्क/कवर पहनना चाहिए और थोड़े– थोड़े अंतराल पर अपने हाथों को बार–बार साबुन से धोना चाहिए । साथ ही, उन्हें 1 से 1.5 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। उत्पादित मछलियों को संभालने और पैक करने के दौरान दस्ताने का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। संदिग्ध या विषाणु वाहक व्यक्तियों से बचाव के लिए केवल स्वस्थ व्यक्तियों को कार्य में सम्मिलित करें।

मास्क तथा सैनीटाइजर

विशेष रूप से ऐसे बाढ़कृत आर्द्रक्षेत्र और मौसमी तालाबो में मछली पकड़ने की सलाह दी जाती है जिसमें न्यूनतम संख्या में मछुआरों को शामिल किया जाय । कम आय वाले मछुआरे व्यक्तिगत तौर पर कास्ट जाल, गिल जाल और ट्रैप को संचालित कर सकते हैं।

बारहमासी जलाशयों में सामुदायिक तौर पर मछली पकड़ने पर फ़िलहाल रोक होना चाहिए। इन जल क्षेत्रों में कम आय वाले मछुआरे एक या दो व्यक्तियों के साथ गिल नेट द्वारा देशी नाव से मछली पकड़ सकते हैं ।

मछुआरों की न्यूनतम भागीदारी के साथ जाल और नाव की मरम्मत जैसी सहायक गतिविधियां की जा सकती हैं। बाढ़कृत आर्द्रक्षेत्र में, प्रति नाव 1 या 2 मछुआरे जलीय पादपों (मैक्रोफाइट्स) को साफ़ करने का कार्य कर सकते है।

खुले टैंक एवं आद्रक्षेत्रों में मछुआरा सहकारी समितियो को मत्स्य आहार का परिमाण 50 प्रतिशत तक घटा देना चाहिए और इन जालों में उच्च मत्स्य भण्डारण के कारण पानी में होने वाली ऑक्सीजन की कमी का समय–समय पर जांच करना चाहिए।

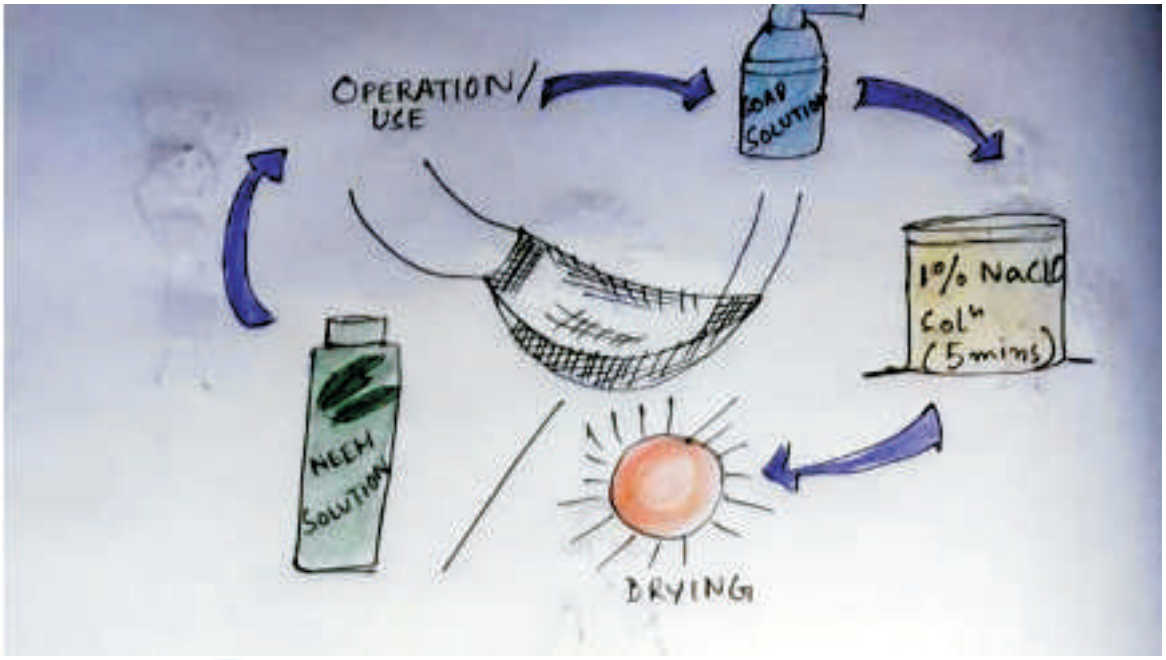

पिंजरे / पेन में मछली पालन पद्धति में, अधिकतम एक या दो स्वस्थ व्यक्तियों को नियमित गतिविधियों जैसे कि मछली को भोजन खिलाना और निगरानी करने के लिए रखा जा सकता है। घेरे में पालित मछलियों में कुपोषण से होने वाली फसल हानि और मृत्यु दर से बचने के लिए पिंजरों में मछली को नियमित रूप से आहार देना चाहिए। जाल, बाल्टियाँ, चारा ट्रे इत्यादि सहित सभी यंत्र नियमित अंतराल पर कीटाणुरहित और साफ किया जाना चाहिए।

सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए हैचरी में प्रजनन और लार्वा पालन किया जा सकता हैं। नर्सरी और पालन तालाब की तैयारी भी पर्याप्त आत्म–सुरक्षा उपायों के साथ की जा सकती है।

मछुआरा सहकारी समितियो को मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों में लगे मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और राज्य मत्स्य विभागों / गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से मास्क और साबुन / सैनिटाइज़र की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना चाहिए।

मछली को उतारते समय लोगों की भीड़ से बचने के लिए सावधानी बरतना चाहिए और स्थानीय स्तर पर मत्स्य विपणन किया जाना चाहिए। प्रग्रहित उपज को छोटे समूहों में मछुआरों द्वारा एकत्र किया जा सकता है और बाजार में परिवहन के लिए 3 या 4 निर्दिष्ट व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है। राज्य मत्स्य विभाग को मत्स्य विपणन के लिए बर्फ की न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

मछली पकड़ने के बाद ही जाल / ट्रैप्स / नाव आदि को कीटाणुरहित (सैनिटाइज) किया जाना चाहिए और संपर्क के कारण संक्रमण के फैलाव की जोखिम को कम करने के लिए केवल स्वस्थ व्यक्तियों को ही नाव का संचालन करना चाहिए। मत्स्य आहार, खाद, रसायन जैसे ऑक्सीजन टैबलेट, जिओलाइट आदि वस्तुओं की खरीद और मछली के विपणन के लिए बाजारों तक पहुंचाने के समय भारत सरकार और राज्य सरकारों की सूचनाओं और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

For further details, contact :
Director, ICAR-CIFRI
Barrackpore - 700120